गुजरात में डाकघर

1961. **श्री राम सिंह राठवा** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 मार्च, 1992, की स्थिति के अनुसार गुजरात के कितने गांवों में डाकघर नहीं थे ;

(ख) वहां डाकघर सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ; और

(ग) आठवीं पंचवर्षीय योजना में गुजरात में जिला-वार कितने कितने डाकघर खोलने का विचार है ?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० बी० रंगैया नायडू) : (क) 31-3-92 की स्थिति के अनुसार गुजरात के ऐसे गांवों की कुल संख्या 10779 है, जिनमें डाकघर नहीं हैं ।

(ख) देश के सभी गांवों में, जिनमें ऐसे गांव भी शामिल हैं जिनमें डाकघर नहीं हैं, डाक वितरण सहित मूलभूत डाक सुविधाएं उपलब्ध हैं । वार्षिक योजना 1991-92 के दौरान गुजरात में उनासी शाखा डाकघर और तीन विभागीय उप-डाकघर खोलने की मंजरी दी गई । आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान गुजरात में और अधिक डाकघर खोलकर डाक सुविधाओं की उपलब्धता में आये सुधार किया जाएगा ।

(ग) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान समूचे देश में 3000 शाखा डाकघर और 500 विभागीय उप-डाकघर खोलने का प्रस्ताव है और गुजरात राज्य में भी डाक के विकास की उसकी मौजूदा स्थिति को ध्यान में रखते हुए उचित संख्या में डाकघर खोले जाएंगे । आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान गुजरात में खोले जाने के लिए प्रस्तावित डाक-घरों की जिलावार संख्या गुजरात सर्किल को आबंटित लक्ष्यों के अनुसार एक के बाद एक वार्षिक योजनाओं में निश्चित की जाएगी इस संबंध में विवरण 1992-97 तक की एक के बाद एक वार्षिक योजना पर अंतिम निर्णय लिए जाने के बाद ही उपलब्ध होगा । वार्षिक योजना 1992-93 के दौरान गुजरात में पच्चीस शाखा डाकघर और पांच विभागीय उप-डाकघर खोलने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है बशर्ते कि निर्धारित मानदंड पूरे हों और धनराशि उपलब्ध रहे ।

टेलीफोन सलाहकार समितियों का गठन

1962. **डा० अबरार अहमद** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जून, 1991 के बाद किन-किन राज्यों और जिलों में टेलीफोन सलाहकार समितियों का गठन किया गया है और उक्त समितियों में अब तक कितने व्यक्तियों को सम्मिलित किया गया है,

(ख) क्या ऐसी समितियों की सदस्य-संख्या के रूप में कोई अधिकतम अथवा न्यूनतम सीमा निर्धारित की गई है, यदि हां, तो इस प्रकार निर्धारित की गई सीमा क्या है,

(ग) उक्त समितियों के गठन के फल-स्वरूप मंत्रालय के व्यय में कितनी वार्षिक वृद्धि हुई है,

(घ) किन-किन राज्यों और जिलों में टेलीफोन सलाहकार समितियों का गठन किया जाना शेष है और इनका गठन कब तक कर दिया जायेगा, और

(ङ) क्या सरकार का, उक्त समितियों के लिए नाम-निर्देशित किए जाने वाले व्यक्तियों की संख्या को निर्धारित करने का विचार है ताकि विभिन्न स्थानों पर ऐसी समितियों को अपने बड़े आकार के कारण अव्यवहारिक होने से बचाया जा सके ?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० बी० रंगैया नायडू) : (क) जून 1991 के बाद जिन राज्यों तथा जिलों में दूर संचार टेलीफोन सलाहकार समितियों का गठन किया गया है उनके नाम तथा उन समितियों के लिए नामित व्यक्तियों की संख्या दर्शाने वाला ब्यौरा

विवरण –I में दिया गया है और इसे सभा पटल पर रख दिया गया है।

(नीचे देखिए)

(ख) जी हां। विभिन्न हितों का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्यों की संख्या पहले ही निर्धारित कर दी गई है। इन समितियों की संरचना को दर्शाने वाला ब्यौरा विवरण –II में दिया गया है, जिसे सभा पटल पर रख दिया गया है। (नीचे देखिए) तदनुसार, टेलीफोन सलाहकार समितियों के महत्व के आधार पर सदस्यों की संख्या निर्धारित की जाती है।

(ग) इन बैठकों में भाग लेने के लिए सदस्यों को यात्रा भत्ते/महंगाई भत्ते का भुगतान किया जाता है और उनके समिति के कार्यकाल के दौरान उन्हें एक टेलीफोन कनेक्शन दिया जाता है। ये बैठकें तीन महीने में एक बार होती हैं। इस बाबत किया गया खर्च बहुत कम होता है।

(घ) जिन राज्यों और जिलों में टेलीफोन सलाहकार समितियों का गठन किया जाना शेष है उनके नाम दर्शाने वाला ब्यौरा विवरण –III में दिया गया है, जिसे सभा पटल पर रख दिया गया है। (नीचे देखिये) इन समितियों का गठन करते संबंधी कार्रवाई प्रगति पर है और इनके शीघ्र ही गठित किए जाने की संभावना है।

(ङ) उपर्युक्त भाग (ख) के उत्तर को मद्देनजर रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

विवरण–II

क्रम सं०	उस राज्य/जिले का नाम जिसमें जून, 1991 के बाद टेलीफोन सलाहकार समिति का पुनर्गठन किया गया है।	नामित व्यक्तियों की संख्या
1	2	3
1.	जम्मू और कश्मीर	46
2.	श्रीनगर	34
3.	इम्फाल	10
4.	मेघालय	25
5.	फरीदाबाद	35
6.	असम	41
7.	गुवाहाटी	28
8.	मणिपुर	21
9.	अरुणाचल प्रदेश	33
10.	अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह	21
11.	लुधियाना	27
12.	अमृतसर	31
13.	त्रिपुरा	39
14.	पोर्ट ब्लेयर	21
15.	हरियाणा	29
16.	बिहार	53

1	2	3
17.	गोवा	23
18.	पंजिम	23
19.	हिसार	26
20.	हिमाचल प्रदेश	31
21.	रोहतक	23
22.	नागालैंड	29
23.	मध्य प्रदेश	41
24.	इलाहाबाद	23
25	उत्तर प्रदेश	53
26.	मेरठ	28
27.	कर्नाटक	44
28.	बेंगलूर	26
29.	मंगलौर	27
30.	गुजरात	40
31.	पश्चिम बगाल	42
32.	कलकत्ता	36
33.	राजस्थान	64
34.	जयपुर	48
35.	करनाल	25
36.	केरल	45
37.	हैदराबाद	45
38.	आंध्र प्रदेश	53
39.	गाजियाबाद	29
40.	पटना	30
41.	वाराणसी	17
42.	उड़ीसा	55
43.	तमिलनाडु	51
44.	बेल्लोर	18
45.	कुड्डालोर	17
46.	मद्रास	44
47.	कानपुर	26
48.	नागपुर	27
49.	वडोदरा (बड़ौदा)	29
50.	मदुरै	13
51.	त्रिची	19
52.	अहमदाबाद	33
53.	इरोड़	25
54.	महाराष्ट्र	41
55.	सूरत	34
56.	तिरूनेल्वेली	25
57.	कोयम्बटूर	24
58.	आगरा	26
59.	लखनऊ	34
60.	सलेम	25
61.	पुणे	25
62.	त्रिवेन्द्रम	30
63.	पालघाट	21
64.	राजकोट	27
65.	जामनगर	22
66.	एर्नाकुलम	28
67.	इंदौर	30
68.	पंजाब	31
69.	सिक्किम	10
70.	चंडीगढ़	27

विवरण–II

दूरसंचार/टेलीफोन सलाहकार समितियों का स्वरूप और उसमें प्रतिनिधित्व करने वाले वर्ग

क्रम सं०	प्रतिनिधित्व करने वाले वर्ग	बंबई, कलकत्ता और दिल्ली की टेलीफोन सलाहकार समितियां	5 राज्यों की दूरसंचार सलाहकार समिति	मद्रास की टेलीफोन सलाहकार समिति	13 राज्यों की दूरसंचार सलाहकार समिति	17 बड़े टेलीफोन जिलों की टेलीफोन सलाहकार समितियां	66 छोटे जिलों की टेलीफोन सलाहकार समितियां	13 अन्य राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों की टेलीफोन सलाहकार समितियां
1.	राज्य प्रशासन	1	1	1	1	1	1	1
2.	राज्य विधायिका	—	—	3	3	3	2	3
3.	निगम अथवा नागरिक निकाय	2	—	1	—	1	1	—
4.	संसद सदस्य	3	3	3	3	2	2	2
5.	प्रेस	4	4	3	3	2	1	1
6.	चिकित्सा व्यवसाय			2	2	2	1	1
7.	विधि व्यवसाय	2	2	2	2	2	1	1
8.	अन्य सभी व्यवसाय जैसे इंजीनियर, वास्तुनिक आदि	2	2	2	2	2	1	1
9.	व्यापार, वाणिज्य तथा उद्योग	10	10	6	6	5	5	4
10.	सार्वजनिक कार्यकर्ता तथा अन्य	10	12	7	8	5	5	6
	कुल योग :	40	40	30	30	25	20	20

(क) बिहार, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश ।

(ख) आन्ध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, गुजरात, तमिलनाडू हरियाणा, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, पंजाब, असम, हिमाचल प्रदेश, जम्मू तथा कश्मीर, और अरूणाचल प्रदेश ।

(ग) अहमदाबाद, अमृतसर, बैंगलूर, बड़ौदा, कालीकट, कोयम्बूटर, एर्नाकुलम हैदराबाद, जयपुर, कानपुर, लुधियाना, लखनऊ, मदुरै, मंगलौर, पुणे, राजकोट, सूरत ।

(घ) आगरा, इलाहबाद, अम्बाला, अल्लेप्पी, अहमदनगर, अगरतल्ला, आसनसोल, बलसार, भुज, भावनगर, बेलगांव, भोपाल, चित्तूर, कन्नानोर, कटक कूड्डालोर, दीमापुर, एलुरू, एरोड़, फरीदाबाद, फिरोजपुर गुंटाकल, गुवाहाटी, गुंटूर गाजियाबाद, हुबली, हिसार, इटौर, इम्फाल, जूनागढ जबलपुर, जामनगर, जलगांव, जालंधर, कुरनूल, कोट्टायम, करनाल, कल्यान, कोल्हापुर, मेहसाना, मैसूर, मेरठ, नागपुर, नाडियाद, नासिक, पटना, पालघाट, पंजिम, पटियाला, पोर्ट ब्लेयर, राजामुंदरी, रोहतक शोलापुर, शोलापुर, शिलांग, सालेम, सिलीगुड़ी, त्रिवेंद्रम, त्रिचूर, त्रिची, तियनेल्वेली, तंजौर' विजयवाड़ा, वाराणसी, विशाखापट्नम, वेल्लोर, तथा क्विलोन ।

(ङ) मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, गोवा, अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह, चंडीगढ, दमन तथा दीव, लक्षद्वीप, तथा मिनिकाय, दादर तथा नागर हवेली, पांडिचेरी ।

विवरण–III

उन राज्यों/जिलों के नाम जहां टेलीफोन सलाहकार समिति का पुनर्गठन किया जाना है

1. कालीकट
2. अम्बाला
3. अल्लेप्पी
4. अहमदनगर
5. अगरतल्ला
6. आसनसोल
7. बलसार
8. भुज
9. भावनगर
10. बेलगांव
11. भोपाल
12. चित्तूर
13. कन्नानौर
14. कटक
15. दीमापुर
16. एलुरू
17. फिरोजपुर
18. गुंटकल
19. गुंटूर
20. हुबली
21. जूनागढ
22. जबलपुर
23. जलगांव
24. जालंधर
25. कुरनूल
26. कोट्टायम
27. कल्यान
28. कोल्हापुर
29. मेहसाणा
30. मैसूर
31. नड़ियाद
32. नासिक
33. पटियाला
34. राजामुंदरी
35. शोलापुर
36. शिलांग
37. सिलिगुड़ी
38. त्रिचुर
39. तंजौर
40. विजयवाड़ा
41. विशाखापट्टनम

42. क्विलोन

43. मिजोरम

44. दमन एवं दीव

45. लक्षद्वीप एवं मिनिकाय

46. दादर तथा नागर हवेली

47. पांडिचेरी

48. बंबई

49. दिल्ली

International Response Postal coupons

1963. SHRI B. K. HARIPRASAD: Will the Minister of COMMUNICATIONS be pleased to state:

(a) whether Government are aware that International Response Postal Coupons are to be exchanged only at a few of the main post offices in Delhi and elsewhere and if so list of such post offices;

(b) whether Government are aware that these coupons are being honoured only at Parliament Street and are being refused at places like Lodi Road, if so, the reasons therefor; and

(c) what steps Government propose to take to ensure that these coupons are honoured at any of the post offices or atleast at the sub-post offices at Malaviya Nagar and Yusuf Sarai?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF COMMUNICATIONS (SHRI P. V. RANGAYYA NAIDU): (a) to (c) All Head Post Offices and Departmental Sub Post Offices in the country are required to provide facilities for the exchange of International Reply Coupons. In Delhi, however, 12 post offices listed in Statement are exchanging International Reply Coupons (*See* below). There are no reports of refusal of these Coupons at Lodhi Road Head Post-Office in Delhi. Instructions have been reiterated to ensure that all Departmental Post Offices in Delhi and elsewhere provide facility for exchange of International Reply Postal Coupons.

Statement

S.No.	Name of HO/SO	Status
1.	Parliament Street	HO
2.	Sarojini Nagar	HO
3.	New Delhi GPO	HO
4.	Delhi GPO	HO
5.	Inderprastha	HO
6.	Ramesh Nagar	HO
7.	Lodi Road	HO
8.	Ashok Vihar	HO
9.	D.H.Q. P.O.	SO
10.	Lajpat Nagar	SO
11.	Connaught Place	SO
12.	Eastern Court	SO

देश में टेलीफोन कनेक्शनों की प्रतीक्षा सूची

1964. **श्री विनोद शर्मा** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में टेलीफोन कनेक्शनों की प्रतीक्षा सूची में व्यक्तियों की संख्या निरन्तर बढ़ती जा रही है;

(ख) यदि हां, तो तीन वर्ष पूर्व प्रतीक्षा सूची में कितने व्यक्ति थे और इस समय स्थिति पर क्या है;

(ग) उक्त अवधि के दौरान कुल कितने टेलीफोन कनेक्शनों को स्वीकृति प्रदान की गई;

(घ) क्या सरकार ने देश में बढ़ती प्रतीक्षा सूची को ध्यान में रखते हुए भविष्य में टेलीफोन कनेक्शन उपलब्ध करने की वर्तमान पद्धति का विस्तार करने का विचार किया है, और

(ङ) यदि हां, तो बकाया मामलों को कब तक निपटा दिया जायेगा ?